"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 141] रायपुर, शनिवार, दिनांक 29 अप्रैल 2006 — वैशाख 9, शक 1928

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खंड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2006

आदेश

क्रमांक एफ-99/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/407.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिका निगम जगदलपुर के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्रीमती सरोज बाजपेयी को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पाँच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिका निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2006

आदेश

क्रमांक एफ-99/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/408.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिका निगम जगदलपुर के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्रीमती विभा राजेश तिवारी को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पाँच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिका निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2006

आदेश

क्रमांक एफ-96/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/409.— दिसम्बर 2004 नगर पालिका परिषद् कोंडागांव के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री लक्ष्मीनाथ भारती को छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पाँच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2006

आदेश

क्रमांक एफ-96/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/410.— दिसम्बर 2004 नगर पालिका परिषद् कोंडागांव के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री विजय नाथ को छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पाँच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2006

आदेश

क्रमांक एफ-96/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/411.— दिसम्बर 2004 नगर पालिका परिषद् कोंडागांव के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री इंदरा पताव को छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पाँच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
ओंकार सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2006.